जुगलपुरा

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान बनाम भूअभिलेख तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा विविध प्रार्थना पत्र धारा 131,136 भू.रा.अधि. मुकदमा नम्बर 122/2023

5-10-2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय संक्षिप्त हस्ताक्षर जज
05.10.2023	

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के तहत दिनांक 22.06.2023 को आयोजित कैम्प सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थीगण श्रीमती सुनीता देवी, सरपंच, ग्राम पंचायत जुगलपुरा व श्री राजेन्द्र सिंह वगै० ग्राम जनता जुगलपुरा के द्वारा इस आशय का एक प्रार्थना पत्र बावत राजस्व नक्शे में शुद्धिकरण करवाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पूर्व में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2016 मे ग्राम पंचायत जुगलपुरा में आयोजित कैम्प में ढाणी पमथली जुगलपुरा से बुवारा सीमा तक पुराने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश हुए थे। जिसमें भूमि खसरा नम्बर 289 व 290 में बिना मौका देखे पटवारी ने रास्ते को जहाँ मौके पर चालू था। वहाँ पर प्रस्ताव में नहीं दिखाया। जिससे आम जन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त रास्ता जहाँ मौके पर चालू हैं। उसी के मुताबिक रास्ता शुद्ध किये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया है। अभियान के दौरान उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर व पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान से जॉच रिपोर्ट चाही जाने हेतु मूल प्रार्थना पत्र की दस्ती दी गई। जिस पर पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान ने परिवादी ग्राम जनता जुगलपुरा एवं ग्राम पंचायत जुगलपुरा के प्रार्थना पत्र में वर्णित ढाणी पमथली से बुवारा सीमा तक जाने वाले प्रचलित रास्ते में संशोधन करने बावत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जांच की जाकर जॉच रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान ने अवगत [illegible] के भूमि खसरा नम्बर 289 व खसरा [illegible] के संग अभियान 2016 में [illegible] श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक: रीडर/16/ 11064 दिनांक 15.12.2016 व तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक: एल0 आर0 16/3234 दिनांक 20.12.2016 के रास्ते को कटान मे दर्ज करने का आदेश होने पर उक्त आदेश की पालना मे ग्राम जुगलपुरा मे नामान्तकरण संख्या 183 दर्ज

—लगातार—

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

05/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म		
	कर स्वीकृत हुआ। वर्तमान में जुगलपुरा में भूमि खसरा नम्बर 289/1 रकबा 11.48 हैक्टर चारागाह व भूमि खसरा नम्बर 289/2 रकबा 0.10 हैक्टर गै0 मु0 रास्ता एवं 290/1 रकबा 0.55 हैक्टर चारागाह व खसरा नम्बर 290/2 रकबा 0.15 हैक्टर गै0 मु0 रास्ता व खसरा नम्बर 290/3 रकबा 25.35 हैक्टर चारागाह दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 289/2 रकबा 0.10 हैक्टर गै0 मु0 रास्ता व खसरा नम्बर 290/2 रकबा 0.15 हैक्टर गै0 मु0 रास्ता की नक्शा ट्रैस में चालू रास्ते के मुताबिक तरमीम सही नहीं हैं। ग्राम जुगलपुरा के मूल खसरा नम्बर 289 व 290 में वर्तमान में चालू रास्ता को नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। जिसको बिन्दु ए. बी. सी. डी. ई. एफ. खसरा नम्बर 290 में रास्ते हेतु दर्शाया गया है एवं बिन्दु एफ. जी. एच. आई खसरा नम्बर 289 में रास्ते हेतु दर्शाया गया हैं। उक्त नक्शें के नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शित किये गये प्रस्तावित रास्ते अनुसार शुद्धिकरण किये जाने हेतु नकल संलग्न होना अंकित किया है। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक रीडर/16/11064 दिनांक 15.12.2016 में वर्तमान में चालू रास्ते के मुताबिक खसरा नम्बर 289, 290 में नजरी नक्शा के दुरूस्तीकरण किये जाने की अभिशंषा पटवारी हल्का सांवलपुरा तवंरान् द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट को तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 988/भू.अ./23 दिनांक 22.06.2023 के द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है।	
	हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नजरी नक्शा ट्रेस, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश/निर्णय व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रचलित रास्ते का प्रस्ताव व संलग्न नजरी नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी व प्रस्तावित नजरी नक्शा, पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान् की रिपोर्ट व इसके संलग्न नक्शा ट्रेस इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया।	
Sd/- 05/10/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	[illegible] कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2016 के द्वारा ग्राम जुगलपुरा पटवार मण्डल सांवलपुरा तंवरान् तहसील श्रीमाधोपुर के खसरा नम्बर 289 रकबा 11.58 हैक्टर में से 0.10 हैक्टर व खसरा नम्बर 290 रकबा 26.05 हैक्टर में से 0.15 हैक्टर भूमि किस्म चारागाह को अन्य खसरा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

— लगातार —

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

नम्बरान् 321, 329, 328, 342, 299, 281 के साथ सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग मे लेने हेतु राजस्व रिकार्ड मे रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये जाने पर उक्त खसरा नम्बरान् में से प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज किये जाने तथा उक्त भूमि को सरकारी खातेदारी में से कम किये जाने के आदेश दिये जाने की स्वीकृति जारी की गई थी। जिसमें से वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 289/2 रकबा 0.10 हैक्टर गै0 मु0 रास्ता व खसरा नम्बर 290/2 रकबा 0.15 हैक्टर गै0 मु0 रास्ता की नक्शा ट्रेस में चालू रास्ते के मुताबिक सही तरमीम नहीं होना पटवारी हल्का सॉवलपुरा तंवरान ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है अर्थात उक्त खसरा नम्बरान् में से प्रचलित रास्ते के संलग्न किये गये नजरी नक्शे में प्रस्तावित किये गये गै0 मु0 रास्ता का प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुसार नहीं होकर वर्तमान पटवारी हल्का सांवलपुरा तॅवरान द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित दुरूस्तीकरण हेतु प्रस्तावित नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये बिन्दु संख्या ए, बी, सी, डी, ई, एफ खसरा नम्बर 290 में तथा बिन्दू संख्या एफ, जी, एच, आई खसरा नम्बर 289 में वर्तमान में प्रचलित चालू रास्ते अनुसार प्रस्तावित किया जाना प्रकट होता है। उक्त खसरा नम्बरान् 289 व 290 में पूर्व में जारी आदेशों में वर्णित रक्बा क्रमशः 0.10 हैक्टर व 0.15 हैक्टर ही वर्तमान में चालू रास्ते का रकबा रास्ते के रूप में काम में आना पटवारी हल्का सॉवलपुरा तॅवरान की रिपोर्ट से प्रकट होता है।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चारागाह भूमियों में किसी भी प्रकार के प्रचलित चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में काटने पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित होने से उक्त चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी के अन्तर्गत आना पाई जाती है। जिसके कारण [illegible] द्वारा चारागाह भूमि में से कोई नया रास्ता [illegible] न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय के संलग्न नजरी नक्शा ट्रेस में अंकित खसरा नम्बरान् में से केवल खसरा नम्बर 289 व 290 में दर्शितानुसार प्रचलित

—लगातार—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

05/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

रास्ता जिसको पटवारी हल्का सॉवलपुरा तॅवरान ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर वर्तमान मे चालू होकर आवागमन के रूप मे काम मे आने से उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे चालू रास्ते की सीमाओ को संलग्न नजरी नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शितानुसार अंकित करते हुए भूमि खसरा नम्बर 289 मे रकबा 0.10 हैक्टर व खसरा नम्बर 290 मे रकबा 0.15 हैक्टर भूमि जो वर्तमान मे चालू रास्ते के रूप में काम मे आने से उक्त रकबे को गै0 मु0 रास्ते के रूप मे पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान की अभिशषा रिपोर्ट के आधार पर लाल स्याही से दर्शितानुसार नक्शा ट्रेस मे तरमीम किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त तरमीम किये जाने वाला रकबा किसी भी सूरत मे पहले जारी स्वीकृति आदेश मे अंकित रकबे कमश: 0.10 हैक्टर व 0.15 हैक्टर से अधिक नहीं हो। तदनुसार भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर न्यायालय निर्णय अनुसार राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेस में अमल दरामद की कार्यवाही करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश रास्ता जिसको पटवारी हल्का सॉवलपुरा तॅवरान ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर वर्तमान में चालू होकर आवागमन के रूप में काम में आने से उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे चालू रास्ते की सीमाओं को संलग्न नजरी नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शितानुसार अंकित करते हुए भूमि खसरा नम्बर 289 में रकबा 0.10 हैक्टर व खसरा नम्बर 290 में रकबा 0.15 हैक्टर भूमि जो वर्तमान मे चालू रास्ते के रूप में काम में आने से उक्त रकबे को गै0 मु0 रास्ते के रूप में पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर लाल स्याही से दर्शितानुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त तरमीम किये जाने वाला रकबा किसी भी सूरत में पहले जारी स्वीकृति आदेश में अंकित रकबे कमश: 0.10 हैक्टर व 0.15 हैक्टर से अधिक नहीं हो। तदनुसार भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर न्यायालय निर्णय अनुसार राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेस में अमल दरामद की कार्यवाही करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुदा होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:32 IST
Reason: SelfAttested

05/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)